अनुदान संख्या 28 – विदेश मंत्रालय
GRANT No. 28 – MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

				कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**					
स्वीकृत–	*Charged-*			*3,00*	..	*-3,00*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*					*3,00*
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	16663,95,00		17033,96,00	13305,00,86	-3728,95,14
पूरक	Supplementary	370,01,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					2579,03,00
पूंजीगत–	**Capital:**					
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	1490,75,00		1490,76,00	868,69,27	-622,06,73
पूरक	Supplementary	1,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					531,66,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* अंश में, ₹*3.00 लाख* का *विनियोग* तीन शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा और अंततः अभ्यर्पित किया गया।

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (₹372895.14 लाख) जुलाई, 2021 तथा दिसम्बर, 2021 में प्राप्त किए गए ₹37001.00 लाख के पूरक अनुदानों से अधिक हो गईं तथा कुल स्वीकृत प्रावधान का 22 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

Notes and comments

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, *appropriation* of ₹*3.00 lakhs* remained wholly unutilized under three heads and was eventually surrendered.

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, the overall savings (₹372895.14 lakhs) exceeded the supplementary grants of ₹37001.00 lakhs obtained in July, 2021 and December, 2021 and constituted 22 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads: -

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष ″2052′′ सचिवालय – सामान्य सेवाएं	Major Head “2052” Secretariat - General Services				
मू.	O.	52284.00	48421.00	44599.86	-3821.14
पु.	R.	-3863.00			
मुख्य शीर्ष ″2061′′ विदेश मामले	Major Head “2061” External Affairs				
मू.	O.	938670.00	895288.00	836253.17	-59034.83
पू.	S.	37001.00			
पु.	R.	-80383.00			
मुख्य शीर्ष ″3605′′ अन्य देशों के साथ तकनी. की और आर्थिक सहयोग	Major Head “3605” Technical and Economic Co-operation with Other Countries				
मू.	O.	675440.00	501784.00	449647.83	-52136.17
पु.	R.	-173656.00			

(I) ₹1404.00 लाख का प्रावधान सात शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इसमें से ₹10000.00 लाख अकेले मुख्य शीर्ष ′3605′′ – ″अन्य देशों के साथ सहयोग – सांस्कृतिक और दाय परियोजनाओं के लिए सहायता″ के अंतर्गत – कोविड–19 प्रतिबंधों के कारण परियोजनाओं में देरी होने से हुआ।

(I) Provision of ₹1404.00 lakhs remained wholly unutilized under seven heads; of these ₹1000.00 lakhs alone accounted for under Major Head “3605” – “Co-operation with Other Countries – Aid for Cultural and Heritage Projects” – due to delay of projects owing to COVID-19 restrictions.

(II) मुख्य शीर्ष ''2061'' – ''विशेष राजनयिक व्यय – स्वविवेक व्यय" के अंतर्गत – ₹300000.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹37000.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹337000.00 लाख तक बढाया गया। तथापि, ₹25256.49 लाख तक की बचत व्यय स्वविवेक प्रकृति का होने के कारण अपेक्षाकृत कम कार्यात्मक आवश्यकता के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष ''2052'' – ''सचिवालय – विदेश मंत्रालय'' के अंतर्गत ₹7683.14 लाख की बचत (₹52283.00 लाख के मूल प्रावधान की तुलना में) एरिनिया लेक्सी/मार्शल द्वीप मामलों में भुगतान नहीं करने और कोविड–19 महामारी के कारण कम यात्रायें करने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष ''2061'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं।

(का) ''प्रशिक्षण – विदेश सेवा प्रशिक्षण संस्थान'' – ₹1683.57 लाख की बचत (₹2576.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 महामारी के कारण कम प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यकलाप किए जाने के कारण हुई।

(खा) ''दूतावास और मिशन'' –

(क) ''प्रबंधन और स्थापना'' – ₹17867.31 लाख की बचत (₹318901.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम विदेशी दौरे किए जाने, कोविड–19 महामारी के कारण कम कार्यकलाप किए जाने तथा वित्त मंत्रालय द्वारा कटौती किए जाने के कारण हुई।

(ख) ''मिशनों के विशेष कार्यकलाप'' – ₹2767.63 लाख की बचत (₹5105.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 महामारी के कारण अपेक्षाकृत कम कार्यकलाप किए जाने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "2061" – "Special Diplomatic Expenditure - Discretionary Expenditure" – the original provision of ₹300000.00 lakhs was augmented to ₹337000.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹37000.00 lakhs which, however, remained unutilized to the extent of ₹25256.49 lakhs - due to lesser functional requirement, expenses being discretionary in nature.

(III) Under Major Head "2052" – "Secretariat - Ministry of External Affairs" - saving of ₹7683.14 lakhs (against the sanctioned provision of ₹52283.00 lakhs) was due to non- payment in Enrica Laxie/ Marshal Island cases and less tours undertaken owing to COVID-19 pandemic.

(IV) Under Major Head "2061"- savings occurred under the following heads: -

(A) "Training - Foreign Service Training Institute" - saving of ₹1683.57 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2576.00 lakhs) was due to less training programme/activities owing to COVID-19 pandemic.

(B) "Embassies and Missions"-

(a) "Management and Establishment" - saving of ₹17867.31 lakhs (against the sanctioned provision of ₹318901.00 lakhs) was due to less foreign tours undertaken, less activities owing to COVID -19 pandemic and cut imposed by Ministry of Finance.

(b) "Special Activities of the Missions" - saving of ₹2767.63 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5105.00 lakhs) was due to less activities owing to COVID-19 pandemic.

(गा) ″पासपोर्ट और आप्रवासन′′ –

(क) ″केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन″– ₹36748.77 लाख की बचत (₹113933.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम दौरे किए जाने, कोविड–19 महामारी के कारण कम कार्यकलाप करने और वित्त मंत्रालय द्वारा कटौती किए जाने के कारण हुई।

(ख) ″आप्रवासन प्रोटेक्टर जनरल″– ₹1287.04 लाख की बचत (₹2902.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 महामारी के कारण कम दौरे करने और कम कार्यकलाप करने के कारण हुई।

(घा) ″मनोरंजन शुल्क′′ –

(क) ″उच्चाधिकारियों का मनोरंजन′′ – ₹5819.62 लाख की बचत (₹8712.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 महामारी के कारण उच्चाधिकारियों के कम दौरों, कम कार्यकलाप किए जाने तथा वित्त मंत्रालय द्वारा कटौती किए जाने के कारण हुई।

(ख) ″उच्च–स्तरीय प्रतिनिधिमंडल′′– ₹21111.18 लाख की बचत (₹21200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वीवीआईपी यात्रा के लिए एयरफोर्स वन शुरु होने के बाद रक्षा मंत्रालय द्वारा वीवीआईपी वायुयान के रखरखाव की पूरी लागत वहन करने और कोविड–19 महामारी के कारण अपेक्षाकृत कम दौरे होने के कारण हुई;

(ङ.) ″स्वायत्तशासी निकाय तथा अन्य संस्थाओं को सहायता – भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद′′ – ₹15164.57 लाख की बचत (₹30000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा कटौती लागू करने और पूर्ववर्ती वर्ष की अप्रयुक्त शेष राशि उपलब्ध होने के कारण हुई।

(च) ″अंतर्राष्ट्रीय सहयोग″–

(C) "Passport and Emigration" -

(a) "Central Passport Organization"- saving of ₹36748.77 lakhs (against the sanctioned provision of ₹113933.00 lakhs) was due to less tours undertaken, less activities owing to COVID-19 pandemic and cut imposed by Ministry of Finance.

(b) "Protector General of Emigrants" - saving of ₹1287.04 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2902.00 lakhs) was due to less tours undertaken and less activities owing to COVID-19 pandemic.

(D) "Entertainment Charges" -

(a) "Entertainment of Dignitaries" - saving of ₹5819.62 lakhs (against the sanctioned provision of ₹ 8712.00 lakhs) was due to less visit of dignitaries, less activities owing to COVID-19 pandemic and cut imposed by Ministry of Finance.

(b) "High Level Delegation" - saving of ₹21111.18 lakhs (against the sanctioned provision of ₹ 21200.00 lakhs) was due to the maintenance cost of VVIP aircraft being fully borne by the Ministry of Defence after the introduction of Air Force One for VVIP travel and fewer visits owing to COVID-19 pandemic.

(E) "Assistance to Autonomous Bodies and other Institutions - Indian Council for Cultural Relations" - saving of ₹15164.57 lakhs (against the sanctioned provision of ₹30000.00 lakhs) was due to cut imposed by Ministry of Finance and availability of unspent balances of previous year.

(F) "International Co-operation" –

(क) "अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन" – ₹4117.32 लाख की बचत (₹5500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विभिन्न संगठनों को अंशदान का कम आकलन होने के कारण हुई।

(ख) "दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय"– ₹21402.39 लाख की बचत (₹31400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 महामारी के कारण निर्माण कार्य पर प्रतिबंध लगने के कारण हुई।

(ग) "बिम्स्टेक सचिवालय"– ₹2231.96 लाख की बचत (₹2500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 महामारी के कारण कम कार्यकलाप करने और वित्त मंत्रालय द्वारा की गई कटौती के कारण हुई।

(घ) "भारतीय डायस्पोरा के साथ कार्यकलाप"– ₹3007.26 लाख की बचत (₹4100.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ङ) "विशेष कार्यक्रम"–₹2512.28 लाख की बचत (₹3985.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें कोविड–19 महामारी के कारण कम कर्यकलाप किए जाने के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष "3605"– "अन्य देशों के साथ सहयोग" – निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत बचतें हुईः –

(का) "भूटान को सहायता"–₹92105.57 लाख की बचत (₹212420.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भौगोलिक स्थितियों, कोविड–19 के प्रभाव संबंधी प्रतिबंधों और लोक निवेश बोर्ड से अनुमोदन नहीं मिलने के कारण कार्य की धीमी गति के कारण हुई।

(a) "Other International Organizations" - saving of ₹4117.32 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5500.00 lakhs) was due to less assessed contribution to various organizations.

(b) "South Asian University" - saving of ₹21402.39 lakhs (against the sanctioned provision of ₹31400.00 lakhs) was due to restriction on construction activity owing to COVID-19 pandemic.

(c) "BIMSTEC Secretariat" - saving of ₹2231.96 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2500.00 lakhs) was due to less activities owing to COVID-19 pandemic and cut imposed by Ministry of Finance.

(d) "Engagement of with Indian Diaspora" - saving of ₹3007.26 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4100.00 lakhs); and

(e) "Special Programmes" – saving of ₹2512.28 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3985.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to lesser activities owing to COVID-19 pandemic.

(V) Under Major Head "3605" – "Co-operation with other countries" – savings occurred under the following heads: -

(A) "Aid to Bhutan"- saving of ₹92105.57 lakhs (against the sanctioned provision of ₹212420.00 lakhs) was due to slow pace of work owing to geological conditions, impact of COVID-19 related restrictions and non-approval from Public Investment Board.

(खा) "नेपाल को सहायता"– ₹54557.13 लाख की बचत (₹99200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(गा) "श्रीलंका – अन्य सहायता कार्यक्रम"– ₹15144.38 लाख की बचत (₹20000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(घा) "अन्य विकासशील देशों को सहायता"– ₹4629.68 लाख की बचत (₹13000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(ङ) "आईटीईसी कार्यक्रम" – ₹9848.15 लाख की बचत (₹15000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(चा) "अफ्रीकी देशों को सहायता" – ₹15808.23 लाख की बचत (₹30000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(छा) "मारीशस को सहायता" – ₹6084.31 लाख की बचत (₹90000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(जा) "सेशेल्स को सहायता" – ₹14153.73 लाख की बचत (₹16000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(झा) "भारत–प्रशांत सहयोग" – ₹792.72 लाख की बचत (₹4000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त आठ शीर्षों के अंतर्गत बचतें कोविड–19 प्रतिबंधों के कारण परियोजनाओं में विलंब के कारण हुईं।

(ञ) "आपदा राहत के लिए सहायता" – ₹1923.82 लाख की बचत (₹2000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विश्व के विभिन्न भागों मे आपदा राहत के लिए कम निधियों की आवशयकता के करण हुई।

(B) "Aid to Nepal"- saving of ₹54557.13 lakhs (against the sanctioned provision of ₹99200.00 lakhs);

(C) "Sri Lanka - Other Aid Programmes"- saving of ₹15144.38 lakhs (against the sanctioned provision of ₹20000.00 lakhs);

(D) "Aid to other Developing Countries" - saving of ₹4629.68 lakhs (against the sanctioned provision of ₹13000.00 lakhs);

(E) "ITEC Programme"- saving of ₹9848.15 lakhs (against the sanctioned provision of ₹15000.00 lakhs);

(F) "Aid to African Countries"- saving of ₹15808.23 lakhs (against the sanctioned provision of ₹30000.00 lakhs);

(G) "Aid Mauritius"- saving of ₹6084.31 lakhs (against the sanctioned provision of ₹90000.00 lakhs);

(H) "Aid to Seychelles"- saving of ₹14153.73 lakhs (against the sanctioned provision of ₹16000.00 lakhs); and

(I) "Indo-Pacific Co-operation"- saving of ₹792.72 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4000.00 lakhs).

Savings under the above eight heads were due to delay of projects owing to COVID 19 reststrictions.

(J) "Aid for Disaster Relief"- saving of ₹1923.82 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2000.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards disaster relief in various parts of the globe.

(ट) "निवेश संवर्धन और प्रचार कार्यक्रम" – ₹10477.45 लाख की बचत (₹27000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) एक्सिम बैंक से ब्याज समकरण सहायता के कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(K) "Investment Promotion and Publicity Programme"- saving of ₹10477.45 lakhs (against the sanctioned provision of ₹27000.00 lakhs) was due to receipt of less Interest Equalisation Support claims from Exim Bank.

(ठ) "यूरेशियाई देशों को सहायता" – ₹1604.19 लाख की बचत (₹10000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 महामारी के कारण सतत परियोजनाओं की धीमी गति के कारण हुई।

(L) "Aid to Eurasian Countries"- saving of ₹1604.19 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10000.00 lakhs) was due to slow progress of ongoing projects owing to COVID-19 pandemic.

(ड) "अफगानिस्तान को सहायता" – ₹18363.17 लाख की बचत (₹35000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राजनीतिक अस्थिरता के कारण सहायता के लिए कम धनराशि की आवश्यकता के कारण हुई।

(M) "Aid to Afghanistan"- saving of ₹18363.17 lakhs (against the sanctioned provision of ₹35000.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards aid owing to political disturbance.

(VI) तीन शीर्षों के अंतर्गत ₹997.65 बचतें हुईं जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक और स्वीकृत प्रावधान का 25 प्रतिशत से 44 प्रतिशत तक थीं।

(VI) Under three heads savings of ₹997.65 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs and constituting 25 percent to 44 percent of the sanctioned provision.

3.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹1046.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि मुख्य शीर्ष "2061" – "स्वायत्तशासी निकायों और अन्य संस्थानों को सहायता – विकासशील देशों के लिए अनुसंधान और सूचना प्रणाली" – के अंतर्गत ₹1.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित किया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹1019.18 लाख था।

3.(I) The above savings were partly (₹1046.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹ 1.00 lakh under Major Head "2061" - "Assistance to Autonomous Bodies and Other Institutions – Research and Information System for Developing Countries" - Actual excess, however, was ₹1019.18 lakhs.

(II) बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईः–

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads: -

(का) मुख्य शीर्ष "2061" – अंतर्राष्ट्रीय सहयोग"–

(A) Major Head "2061" - "International Co-operation" -

(क) "संयुक्त राष्ट्र संगठन" – ₹11842.57 लाख का अधिक व्यय (₹40000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संयुक्त राष्ट्र संघ को भारत के अनिवार्य/आकलित अंशदान में वृद्धि होने से अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

(a) "United Nations Organization"- excess of ₹11842.57 lakhs (against the sanctioned provision of ₹40000.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards increase in India's mandatory/assessed contribution to United Nations.

(ख) "नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय" — ₹10000.00 लाख का अधिक व्यय (₹25000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) तृतीय चरण के निर्माण कार्यकलापों के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

(b) "Nalanda International University" - excess of ₹10000.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹25000.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards construction activities of 3rd phase.

(खा) मुख्य शीर्ष "3605"— "अन्य देशों के साथ सहयोग" —

(B) Major Head "3605" – "Co-operation with Other Countries" –

(क) "बांग्लादेश को सहायता" — ₹1953.09 लाख का अधिक व्यय (₹20000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आशुगंज–जाकीगंज जलमार्ग की ड्रेजिंग, भारत–बंगलादेश पाइपलाइन और बंगलादेश को एंबुलेंस आपूर्ति की शेष राशि के भुगतान के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

(a) "Aid to Bangladesh" - excess of ₹1953.09 lakhs (against the sanctioned provision of ₹20000.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards dredging of Ashuganj-Zakiganj waterways, India Bangladesh pipeline and balance payment of Ambulances supply to Bangaladesh.

(ख) "म्यांमार को सहायता" — ₹19825.30 लाख का अधिक व्यय (₹40000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) 69 पुलों के लिए अग्रिम जुटाने, केल्वा–यार्गी रोड, कलादन जलमार्ग घटक और सित्तव पत्तन की ड्रेजिंग के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

(b) "Aid to Myanmar" - excess of ₹19825.30 lakhs (against the sanctioned provision of ₹40000.00 lakhs) was due to requirement of additional funds for mobilization advances towards 69 bridges, payment towards Kalewa-Yargi Road, Kaladan Waterways component and dredging of Sittew port.

4. बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखत मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:—

4. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving -
मुख्य शीर्ष "4059" लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4059" Capital Outlay on Public Works				
मू.	O.	26000.00			
पू.	S.	1.00	25201.00	23981.65	-1219.35
पु.	R.	-800.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving - (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4216" आवास पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4216" Capital Outlay on Housing				
मू.	O.	35000.00	19500.00	18545.12	-954.88
पु.	R.	-15500.00			
मुख्य शीर्ष "7605" विदेशी सरकारों को अग्रिम	Major Head "7605" Advances to Foreign Governments				
मू.	O.	88075.00	51209.00	44342.50	-6866.50
पु.	R.	-36866.00			

(I) मुख्य शीर्ष "4059" – "अन्य भवन – निर्माण – विदेश कार्य" के अंतर्गत – ₹1708.59 लाख की बचत (दिसम्बर, 2021 में प्राप्त ₹1.00 लाख रुपए के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹25001.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) तेल अबीब में नई संपत्ति के अधिग्रहण को अतिम रूप नहीं दिए जाने के कारण हुई।

(I) Under Major Head "4059" - "Other Buildings-Construction- External Affairs" -saving of ₹1708.59 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹25001.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in December, 2021) was due to non-finalization of acquitision of new property in Tel Aviv.

(II) मुख्य शीर्ष "4216" – "सरकारी आवासीय भवन – अन्य भवन – विदेश मंत्रालय" के अंतर्गत –₹16454.88 लाख की बचत (₹35000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आवासीय संपत्ति की खरीद/अधिग्रहण को अंतिम रूप नहीं दिए जाने और काबुल पुनरुद्धार परियोजनाओं को मूर्त रूप नहीं देने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "4216" - "Government Residential Buildings - Other Housing - External Affairs" -saving of ₹16454.88 lakhs (against the sanctioned provision of ₹35000.00 lakhs) was due to non-finalization of purchase/acquisition of residential property and non-materialisation of Kabul renovation projects.

(III) मुख्य शीर्ष "7605" – "भूटान सरकार को ऋण– भूटान में सतत जल विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण" के अंतर्गत – ₹43732.50 लाख की बचत (₹88075.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 प्रतिबंधों के कारण परियोजनाओं में विलंब के कारण हुई।

(III) Under Major Head "7605" - "Loans to Govt. of Bhutan - Loans for on-going Hydro Power Projects in Bhutan" - saving of ₹43732.50 lakhs (against the sanctioned provision of ₹88075.00 lakhs) was due to delay in projects owing to COVID-19 restrictions.

(IV) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹310.76 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधानों का 31 प्रतिशत थी।

(IV) Under one head saving of ₹310.76 lakhs occurred constituting 31 percent of the sanctioned provision.